संख्याः- 614/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) राहत आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, मऊ, चन्दौली, देवरिया, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर एवं सुल्तानपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2025

विषयः सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम को 18 जनपदों में विस्तारित किये जाने की परियोजना में प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8332/रा0आ0का0/2025-26, दिनांक 29.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदो में प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से अनुमोदित धनराशि रू0 11,00,43,200/- को राहत आयुक्त कार्यालय व सम्बन्धित जनपदों को पृथक-पृथक रूप से आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदो में प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से अनुमोदित धनराशि रू0 11,00,43,200/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ व सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

क्र0	कार्यालय/जनपद	आवण्टन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	राहत आयुक्त कार्यालय	74631500
2	अम्बेडकरनगर	1947000
3	आजमगढ़	2574750
4	बलिया	2149350
5	बस्ती	1702350
6	मऊ	1476450
7	चन्दौली	1581150
8	देवरिया	2024850
9	श्रावस्ती	1052250

10	गोरखपुर	2247300
11	जौनपुर	2865300
12	कुशीनगर	2250150
13	मीरजापुर	1544850
14	प्रतापगढ़	2153550
15	प्रयागराज	3090900
16	रायबरेली	1946100
17	संतकबीर नगर	1124250
18	सिद्धार्थनगर	1759350
19	सुल्तानपुर	1921800
योग		11,00,43,200/-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ व सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ व सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त परियोजना के अन्तर्गत निविदा जारी किये जाने एवं कार्यादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन0डी0एम0ए0 द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 11,00,43,200/- को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 16-06-2025 13:46:02
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-614(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

3- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-17/06/2025

प्रेषण संख्या:- 614
आवंटन आदेश संख्या:- 001-614
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3090900 3090900	3090900 3090900
2	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1544850 1544850	1544850 1544850
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2865300 2865300	2865300 2865300
4	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2149350 2149350	2149350 2149350
5	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2247300 2247300	2247300 2247300
6	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1702350 1702350	1702350 1702350
7	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2574750 2574750	2574750 2574750
8	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2024850 2024850	2024850 2024850
9	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1946100 1946100	1946100 1946100
10	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1921800 1921800	1921800 1921800
11	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2153550 2153550	2153550 2153550
12	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	74631500 276059037	74631500 276059037
13	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1476450 1476450	1476450 1476450
14	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1759350 1759350	1759350 1759350
15	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2250150 2250150	2250150 2250150
16	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1947000 1947000	1947000 1947000
17	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1581150 1581150	1581150 1581150
18	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1124250 1124250	1124250 1124250
19	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1052250 1052250	1052250 1052250
	योग	वर्तमान प्रगामी	110043200 311470737	110043200 311470737

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तियालीस हजार दो सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तीस करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार सात सौ सैंतीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन